न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला जालोर।

पीठासीन अधिकारी मुरारीलाल शर्मा आर. ए. एस.
प्रकरण सं. 10/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
कालूराम पुत्र छोगाराम, उम्र–46वर्ष, जाति–सुथार, निवासी–बावरला, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर।		राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थितिः–
1. वकील श्री जालाराम पुनियां प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी नायब तहसीलदार सांचौर राज पैरोकार।

<u>निर्णय</u>

दिनांक 21.03.2018

1. यह है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र पेथ कर निवेदन किया गया कि ग्राम शिवनगर, पटवार क्षेत्र – बावरला में प्रार्थी की मालिकाना हकहकूक की खातेदारी कब्जाकाश्त के खेत खसरा नंबर 620 रकबा 4.63 हैक्टर, खसरा नंबर 839 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 840/902 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 852 रकबा 3.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 854 रकबा 2.83 हैक्टर कुल रकबा 10.88 हैक्टर व ग्राम– डडूसन, पटवार हल्का बावरला के खेत खसरा नम्बर 542 रकबा 2.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 543 रकबा 5.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 544 रकबा 2.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 545 रकबा 1.12 हैक्टर भूमि आई हुई है। जिस पर अपने हिंस्से पर कब्जाकाश्त प्रार्थी का आया हुआ है। उक्त आराजी प्रार्थी के पिता छोगाराम के नाम खातेदारी कब्जाकाश्त की थीं, जिनके फौत होनें पर प्रार्थी कालूराम के नाम भूमि दर्ज हुई। उक्त आराजी में लिपिकीय भूल से प्रार्थी के नाम इन्द्राज प्रविष्ठि करते वक्त प्रार्थी कालूराम का नाम लिपिकीय भूल से कालाराम लिख दिया गया, जो लिपिकीय भूल से लिखा गया है। प्रार्थी का वास्तविक नाम कालूराम है। जिसके समर्थन में परिवार राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि दस्तावेज पेथ किये है। लिपिकीय भूल को कालाराम की जगह कालूराम दुरूस्ती की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी–सांचौर जिला जालोर (राज०)

2. यह है कि प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर अप्रार्थी की ओर से जवाब पेथ कर निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम कालाराम की जगह कालूराम किया जाता है, तो राज पैरोकार को कोई आपत्ति नही है।

3. उभय पक्ष बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया बहस तर्को पर मनन किया तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज परिवार राशनकार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड तमाम् दस्तावेजो में कालूराम दर्ज है। जिससे पूर्णतया साबित है कि प्रार्थी का वास्तविक का नाम कालूराम है। तथा इस संबध में अप्रार्थी ने राज पैरोकार नें सहमति व्यक्त की है, सहमति के आधार पर लिपिकीय भूल को दुरूस्त किया जाना उचित मानता हूँ। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेथ

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेथ दिया जाता है कि ग्राम ग्राम शिवनगर, पटवार क्षेत्र – बावरला में प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नंबर 620 रकबा 4.63 हैक्टर, खसरा नंबर 839 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 840/902 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 852 रकबा 3.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 854 रकबा 2.83 हैक्टर कुल रकबा 10.88 हैक्टर व ग्राम–डडूसन, पटवार हल्का बावरला के खेत खसरा नम्बर 542 रकबा 2.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 543 रकबा 5.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 544 रकबा 2.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 545 रकबा 1.12 हैक्टर भूमि में लिपिकीय भूल को दुरूस्त कर कालाराम नाम की जगह कालूराम दर्ज किए जाने का आदेथ दिए जाते है। उक्त दुरूस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु तहरीर तहसीलदार सांचौर को जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करे।

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर